

पत्रांक :- 182/2026  
सेवा में,

दिनांक - 02/01/2026

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वन प्रभाग चम्पावत।

विषय :- जनपद चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकासखण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेडा जमरेडी कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.760 हे0 वनभूमि का गैरवानी के कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/Road/ 42256/ 2019)

संदर्भ :- आपके कार्यालय के पत्रांक 3361/12-1 देहरादून दिनांक 07.02.2026 IROEDS Dt. 07-03-2026


महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण पर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण निम्नवत है:-

1	आपत्ति	अनुपालन आख्या (आपत्ति का निराकरण)
	Compensatory Afforestation (CA) has been proposed over Degraded forest Land (DEL). As per the applicable rules and guidelines, Compensatory Afforestation is required to be carried out over Non-Forest Land (NFL) only. Accordingly, CA proposal needs to be revised in conformity with the prescribed norms by the concerned DFO and User Agency.	जनपद चम्पावत में सिविल भूमि उपलब्ध न होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वनभूमि पुर्वी कान्तेश्वर कक्षा 10 में वन विभाग द्वारा दी गयी है। जिसे प्रस्तावित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

  
अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,  
लोहाघाट।

पत्रांक :- ...../

दिनांक - ...../...../2026

प्रतिलिपि - जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,  
लोहाघाट।